

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 124/अ-20(3)/2023-24



प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित तहसील बडौद की कुल भूमि 10.29 हेक्टेयर भूमि में से 7.85 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम झलारा बडौद की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा
1	85	1.220	0.71
2	2/3	5.200	5.06
3	84	0.880	0.74
4	2/2	2.990	1.34
	कुल किता 4	10.29 हेक्टेयर	7.85 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार बडौद ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। दिनांक 11/03/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बडौद, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। कार्यालय सहायक यंत्री म. प्र. प. क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बडौद द्वारा पत्र क्रमांक/स.पं./2024-25/38 बडौद दिनांक 19.04.2024 से अवगत कराया कि झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे. भूमि को वन विभाग को आवंटित किये जाने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर-मालवा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत/परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागों को कोई आपत्ती नहीं है। प्रकरण में कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी आगर-मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/2024/636 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अवगत कराया कि झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे. भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा. लि. वन विभाग को आवंटित किये जाने में विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। ग्राम पंचायत



झलारा बडौद द्वारा दिनांक 08.06.2024 द्वारा पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पंचायत झलारा बडौद में गौ शाला संचालित हो रही है। गौ शाला होने के कारण गायों को चरने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है। अतः ग्राम पंचायत कोई भूमि संबंधित आवेदक को देने के पक्ष में नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम झलारा बडौद के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वर्तमान खसरा अभिलेख में आवेदित भूमि शासकीय अंकित है। ग्राम झलारा बडौद की मिसल बंदोबस्त में निस्तार गोचर का कुल रकबा 73.22 हे. दर्ज है। वर्ष 2023-24 की खसरा जिल्द में ग्राम झलारा बडौद का शामिल जोत का कुल रकबा 690.16 हे. दर्ज है। जिस मान से ग्राम में गोचर भूमि का न्यूनतम 2 प्रतिशत रकबा 13.80 हे. होता है। यदि उक्त आवेदित सर्वे नंबर की भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित होती है तो गोचर भूमि का कुल शेष रकबा 18.11 हे. है। चरनोई का 2 प्रतिशत रकबा प्रभावित नहीं होगा। हल्का पटवारी झलारा बडौद द्वारा ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण के उद्देश्य से वन विभाग को आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम झलारा बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम झलारा बडौद की सिंचित भूमि 13,20,000 अक्षरी तेरह लाख बीस हजार प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 1,65,79,200/- अक्षरी एक करोड़ पैंसठ लाख उन्यासी हजार दो सौ रुपये होता है। प्रकरण में ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वर्तमान खसरा वर्ष 2024-25 में शासकीय भूमि है जिसे वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत द्वारा उनके पत्र दिनांक 08.06.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सके अतः ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

२

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 10.29 में से 7.85 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 1,65,79,200/- अक्षरी एक करोड़ पैंसठ लाख उन्नासी हजार दो सौ रुपये जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

6/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा खसरा नगल इस न्यायालय को भिजवायें।

(राघवेन्द्र सिंह)

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (न.प्र.)

आगर मालवा, दिनांक 28/10/2024

क्रमांक/रीडर/2024/383
प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावे तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (न.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: झलारा बडौद			पटवारी हल्का: झलारा बडौद			तहसील: बडौद			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-माटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. हस्तबद्धक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौर फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के संचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836616 81QUSED8PFY3H0	2/2/1 (S)		1.3400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:झलारा बडौद			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बडौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-मातृक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्योरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836515 81R0EFD8PFFHH0	2/3/1 (S)		5.0600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:झलारा बडौद			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बडौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के संचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836594 81R0ZDD8PGSLH0	84/1 (S)		0.7400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

नोट :-

- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
- 3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
- 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:झलारा बडौद			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बडौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-मीटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रमार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौर फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के संचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836368 81QVSJD8PGPHH0	85/1 (S)		0.7100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

- नोट :-
- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
 - 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
 - 3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
 - 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट